यूएस वीजा प्रोसेस में देरी से कंपनियों पर असर

वर्क वीजा वाले कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ने से रोक रहे गूगल, ऐप्पल

वाशिंगटन, 21 दिसंबर. अमेरिका में वीजा प्रक्रिया के नए नियमों के चलते अपॉइंटमेंट और प्रोसेसिंग में हो रही देरी का असर अब साफ दिखने लगा है.

खासतौर पर एच -1बी वीजा पर निर्भर टेक्नोलॉजी कंपनियों और विदेशी प्रोफेशनल्स को इसका सामना करना पड़ रहा है. नए वेटिंग प्रोसेस के तहत अब ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की जांच की जाती है. हालांकि एप्लिकेंट अब भी केस-बाय-केस आधार पर जल्दी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिसोर्स में बदलाव होने पर स्लॉट बदले जा सकते हैं, लेकिन नए वेटिंग प्रोसेस ने पूरी प्रक्रिया को अधिक जटिल बना दिया है. नए सिस्टम के तहत आवेदकों की ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू के जरिए स्क्रीनिंग की जा रही है. इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हो सकते हैं. इस अतिरिक्त जांच के कारण वीजा प्रोसेसिंग टाइम पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. इस देरी का सबसे ज्यादा असर उन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर पड़ रहा है, जो एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अत्यधिक निर्भर हैं. इस प्रोग्राम के तहत हर साल केवल 85,000 नए वीजा जारी किए जाते हैं. बिजनेस इनसाइडर द्वारा विश्लेषित डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और यूएससीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में गूगल ने 5,537 और एप्पल ने 3,880 एच-1बी वीजा के लिए आवेदन किए. जारी किए गए कुल एच-1बी वीजा में से 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय नागरिकों को मिले, जिससे यह साफ है कि नई प्रक्रिया का सबसे बड़ा असर भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ रहा है.

इसका नतीजा यह हुआ है कि वीजा प्रोसेसिंग टाइम पुराने मानकों की तुलना में काफी बढ़ गया है. अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल और ऐप्पल नौकरी वाले वीजा पर अमेरिका आये कर्मचारियों को देश छोड़ने से रोक रहे हैं. बिजनेस इनसाइडर ने एक ईमेल का हवाला देते हुए यह दावा किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, गूगल और ऐप्पल कुछ वर्क वीजा वाले कर्मचारियों को दूतावास में देरी के कारण अमेरिका से बाहर यात्रा न करने की सलाह दे रहे हैं. दोनों कंपनियों के बाहरी कानूनी सलाहकारों ने उन कर्मचारियों को ईमेल भेजे हैं जिन्हें अमेरिका में फिर से प्रवेश के लिए वीजा स्टैंप की जरूरत है. ऐसे कर्मचारियों को देश न छोड़ने की सलाह दी है क्योंकि वीजा प्रक्रिया में सामान्य से ज़्यादा समय लग रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह देरी अमेरिका आने वाले कुछ खास तरह के यात्रियों के लिए सोशल मीडिया वेरिफिकेशन की ज़रूरतों को लागू करने के कारण हो रही है. पिछले हफ्ते, एनबीसी ने एक अमेरिकी सीमा-शुल्क एवं सुरक्षा (सीबीपी) के दस्तावेज़ का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिकी अधिकारी देश में प्रवेश चाहने वाले विदेशी यात्रियों से पिछले पांच सालों का सोशल मीडिया डेटा मांगने की योजना बना रहे हैं. चैनल ने यह भी साफ किया कि सीबीपी आवेदकों के पिछले पांच सालों में इस्तेमाल किये गये फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और परिवार के करीबी सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगा.

न्याय विभाग से एप्स्टीन केस की फाइलें गायब

वेबसाइट से 16 दस्तावेज हटने पर ट्रंप और जांच एजेंसियों पर सवाल

वाशिंगटन, 21 दिसंबर. अमेरिका में कुख्यात फाइनेंसर और यौन तस्करी के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले ने एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है.

अमेरिकी विधि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से एप्स्टीन केस से संबंधित कम से कम 16 अहम फाइलों के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आई है. यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब हाल ही में कांग्रेस के दोनों दलों डेमोक्रेटिक पार्टी और कई रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से एक कानून के तहत एप्स्टीन मामले से जुड़ी कुछ सामग्री सार्वजनिक की गई थी. अमेरिकी विधि विभाग की वेबसाइट के उस विभाग से कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ संबंध होने का संदेह है, हालांकि अभी तक कोई विशिष्ट सबूत पेश नहीं किया गया है कि अमेरिकी नेता बच्चों के यौन शोषण में शामिल थे.

एक रिपोर्ट के अनुसार, गायब फाइलों में नग्न महिलाओं की पेंटिंग की तस्वीरें शामिल थीं. साथ ही एक ऐसी तस्वीर भी गायब है जिसमें एक ड्रेसर और दराजों पर रखी तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई गई थी, जिसमें एप्स्टीन, मेलानिया ट्रंप और एपस्टीन की लंबे समय तक सहयोगी रही घिसलेन मैक्सवेल के साथ ट्रंप की एक तस्वीर भी शामिल थी.

गौरतलब है कि एप्स्टीन पर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सेक्स ट्रैफिकिंग और अपराध करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उसे 40 वर्षों से अधिक की जेल का सामना करना पड़ सकता था. अभियोजकों के अनुसार, 2002 और 2005 के बीच एपस्टीन ने दर्जनों नाबालिग लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए, जिन्हें उसने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में अपने आवासों पर बुलाया था. वह उन्हें नकद भुगतान करता था और फिर कुछ पीड़ितों को और लड़कियों को लाने के लिए रिक्रूटर्स के रूप में नियुक्त करता था.

आंध्र प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग विजयवाड़ा में हुई

विजयवाड़ा 21 दिसंबर, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन (IABF) से संबद्ध आंध्र प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग रविवार को विजयवाड़ा स्थित होटल नोवोटेल में आयोजित की गई।

बैठक में राज्य में बॉक्सिंग के समग्र विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, जिला स्तर पर संरचना को मजबूत करने तथा भविष्य की रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राकेश मिश्र एवं सेक्रेटरी जनरल श्री राकेश ठकरान विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों पदाधिकारी शनिवार सायं विजयवाड़ा पहुँचे तथा बैठक उपरांत रविवार को पूरे दिन होटल नोवोटेल, विजयवाड़ा में रहकर राज्य के बॉक्सिंग पदाधिकारियों, खिलाड़ियों एवं जिला संघ प्रतिनिधियों से संवाद करते रहे।

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राकेश मिश्र ने तेलुगु भाषा में उपस्थित जनसमूह का अभिवादन करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश बॉक्सिंग का गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ के खिलाड़ी देश के लिए गर्व का विषय हैं। डॉ. मिश्र ने कहा कि आंध्र प्रदेश बॉक्सिंग का योगदान राष्ट्रीय खेल परिदृश्य में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। राज्य ने अनेक ऐसे खिलाड़ी और प्रशिक्षक दिए हैं, जिन्होंने अपने अनुशासन, समर्पण और परिश्रम से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विशेष रूप से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित श्री आई. वी. राव, अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री एस. जयराम, विश्व चैंपियन एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त श्रीमती एन. उषा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्री एच. श्रीनिवास तथा एशियाई कांस्य पदक विजेता श्रीमती कविता के योगदान को आंध्र प्रदेश बॉक्सिंग की उपलब्धियों का स्वर्णिम अध्याय बताया।

उत्कर्ष को मिला उपाधि प्रमाण- पत्र

चाकघाट 21 दिसंबर, नगर परिषद क्षेत्र चाकघाट वार्ड क्रमांक 11 के निवासी श्रीमती कल्पना- संतोष कुमार गुप्ता के सुपुत्र उत्कर्ष गुप्ता को विगत दिवस (15 दिसंबर को) बैचलर आफ टेक्नोलॉजी के उपाधि से नवाजा गया। ज्ञातव्य हो कि उक्त छात्र ने

विगत वर्ष 2021 से बड़ोदरा (गुजरात) के पारुल यूनिवर्सिटी में अनवरत अध्यनरत रहकर अपना शिक्षण पूर्ण कर उपाधि हासिल कर अपने यूनिवर्सिटी व अपने परिवार का नाम रोशन करने के प्रति सतत प्रयास रत है। उनके इस सफलता पर पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती पारुल पटेल एवं अन्य सभी शिक्षण कार्य में संलग्न प्रोफेसर ने अपने छात्र के प्रति सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

इस अवसर पर उत्कर्ष गुप्ता को बधाई देने वालों में सर्वश्री राम लखन गुप्ता (वरिष्ठ पत्रकार), श्रीमती सविता गुप्ता, अनुराग सिंह (सिस्टूल्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारका नई दिल्ली) अनिल यादव, आदित्य गुप्ता, सपना तिवारी, नंदिनी सिंह, केयूरी त्रिवेदी, साहिल बलियार सिंह, प्रिंस प्रजापति, विनय तिवारी, आदित्य अग्रहरि, सुमित केसरवानी, वैश्य आर्यन मित्तल, अभय वर्मा, अमित शर्मा, अशोक कुमार गुप्ता, रवि अग्रहरि, अवध किशोर केशरवानी, सत्येंद्र, आशुतोष, अथर्व इत्यादि।

चंडीगढ़ में 1.14 करोड़ रुपए का प्राइवेट ग्रांट सेल घोटाला उजागर

चंडीगढ़ 21 दिसंबर. चंडीगढ़ के पीजीआई में 1.14 करोड़ रुपये के प्राइवेट ग्रांट सेल घोटाले की परतें अब तेजी से खुलती जा रही हैं जांच में सामने आया है कि यह फर्जीवाड़ा केवल एक विभाग तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे पहले भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में करोड़ों रुपये की अनियमितताएं की जा चुकी थीं. अधिकारियों के अनुसार आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना में हुए घोटालों का मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति था, जिसने पीजीआई के प्राइवेट ग्रांट सेल में बड़ा खेल किया.

नाम परिवर्तन सूचना

मै श्रीमती पायल रोहरा (Payal Rohra) पति श्री विनोद रोहरा (Vinod Rohra) उम्र 37 साल निवासी वार्ड क्र..21 म.क्र.548 सिंधी कैम्प सतना थाना कोलगवां तह.रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. की होकर बहलफ सूचित कर रही हूं कि विवाह के पूर्व मेरा नाम दीपिका आर्या (Deepika Arya) पिता श्री नन्दलाल आर्या (Nandlal Arya) माता श्रीमती चित्रा आर्या (Chitra Arya) था विवाह (24 फरवरी 2012) के बाद मेरा नाम श्रीमती पायल रोहरा (Payal Rohra) हो गया है. अत: श्रीमती पायल रोहरा (Payal Rohra) और दीपिका आर्या (Deepika Arya) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अलग-अलग नहीं और मुझे दोनों नामों से जाना जाता है. दोनों नामों को एक ही पढ़ा लिखा व माना जाए तथा समस्त दस्तावेजों में दर्ज नाम श्रीमती पायल रोहरा (Payal Rohra) को मान्य किया जाए.

सुखवन्ती देवी शिक्षण संस्थान हनुमना, जिला मउगंज

(नवनिधि सेवा समिति द्वारा संचालित)

एन.सी.टी.ई.से मान्यता प्राप्त एवं अ.प्र.सिह वि.वि.रीवा से संबद्ध

आवश्यकता है

वि.वि.परिनियम कालेज कोड 28 के तहत स.प्राध्यापकों की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	पद	सं.	योग्यता	वेतन
01	स.प्रा./व्याख्याता अंग्रेजी	01	एम.एड.एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	म.प्र.शासन के नियमानुसार
02	स.प्रा./व्याख्याता विज्ञान	01	एम.एड.एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	म.प्र.शासन के नियमानुसार
03	स.प्रा./व्याख्याता गणित	01	एम.एड.एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर	म.प्र.शासन के नियमानुसार
04	स.प्रा./व्याख्याता शारीरिक शिक्षा	01	एम.पी.एड.	म.प्र.शासन के नियमानुसार

नोट :- यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी विज्ञापन दिनांक से 15 दिवस तक अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं.

प्राचार्य-सुखवन्ती देवी शिक्षण संस्थान हनुमना, जिला-मउगंज (म.प्र.)
मो.-7999508543, 9685656219

कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

// अधिसूचना //

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/25-26 पत्र क्र. 204/ भू-अर्जन / 2025 दि. 11/12/2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे.में.) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	अमरपाटन	नौगवां	6.1500 हे.	कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु.मैहर जिला मैहर (म.प्र.)	रीवा शाखा नहर अंतर्गतअजवानी वितरिका नहर के नौगवां माइनर एवं बजवाही माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू अर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानी बाटड)
कलेक्टर, जिला मैहर (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-23010/25

कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

// अधिसूचना //

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/25-26 पत्र क्र. 211/ भू-अर्जन / 2025 दि. 11/12/2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे.में.) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	अमरपाटन	धतुई	0.7480 हे.	कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु.मैहर जिला मैहर (म.प्र.)	रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू अर्जन शाखा) मैह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानी बाटड)
कलेक्टर, जिला मैहर (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0
शासन राजस्व विभाग

G-23020/25

कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

// अधिसूचना //

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/25-26 पत्र क्र. 210/ भू-अर्जन / 2025 दि. 11/12/2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे.में.) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	अमरपाटन	धुइसा	1.6910 हे.	कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु.मैहर जिला मैहर (म.प्र.)	रीवा शाखा नहर अंतर्गतबैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू अर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानी बाटड)
कलेक्टर, जिला मैहर (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-23021/25

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग संभाग अशोकनगर (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 06/पर्ष 2028-26/का.यं./ 4046-4047 — अशोकनगर, दिनांक 16.12.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर कमांक	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	1-धरोहर राशि 2- निविदा प्रपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2025_PWDRB _468083_1	सडक संधारण	बगुल्या से उमरी मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी., पिपरई जारोली बुजुर्ग मार्ग से ढोंडिया खोकसी व्हाया चन्दू का चक्क लंबाई 7.70 कि.मी., भादौन राजपुर छीपोन मार्ग लं. 9.70 कि.मी. एवं प्राणपुर नानकपुर हिरावल राजघाट मार्ग लंबाई 18.05 किमी. कुल लंबाई 40.45 कि.मी. का एस.टी. एम.सी. अंतर्गत संधारण कार्य।	प्रथम	188.19	1-Rs.1,88,190/- 2-Rs.12500/-
2	2025_PWDRB _468744_1	विशेष मरम्मत	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मुंगावली अंतर्गत रेस्ट हाउस परिसर में स्थित एच-2 टाईप क्वार्टर का विशेष मरम्मत कार्य, अतिरिक्त डायनिंग हॉल निर्माण, रेस्ट हाउस एवं उपसंभाग कार्यालय की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	प्रथम	15.31	1- Rs.30,620/- 2-Rs.2000/-
3	2025_PWDRB _468745_1	निर्माण कार्य	फेमिली कोर्ट अशोकनगर में टॉयलेट का निर्माण कार्य।	प्रथम	4.71	1-Rs.9,420/- 2- Rs.2000/-
4	2025_PWDRB _468746_1	निर्माण कार्य	उपसंभाग मुंगावली के अंतर्गत तहसील कोर्ट मुंगावली में विकलांगों हेतु पुरूष/महिला टॉयलेट का निर्माण कार्य।	प्रथम	4.40	1- Rs.8,800/- 2- Rs.2000/-
5	2025_PWDRB _468747_1	निर्माण कार्य	उपसंभाग अशोकनगर के अंतर्गत तहसील कोर्ट ईसागढ में विकलांगों हेतु पुरुष / महिला टॉयलेट का निर्माण कार्य।	प्रथम	4.40	1- Rs.8,800/- 2- Rs.2000/-
6	2025_PWDRB _468748_1	निर्माण कार्य	उपसंभाग चंदेरी के अंतर्गत तहसील कोर्ट चंदेरी में विकलांगों हेतु पुरुष / महिला टॉयलेट का निर्माण कार्य।	प्रथम	4.40	1-Rs.8,800/- 2- Rs.2000/-
			Total:-		221.41	

उपरोक्त वेबसाइट आनेंलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय एवं ऑनलाईन सबमिट करने की अंतिम तिथि 02.01.2026 (17.30) बजे निर्धारित है। निविदा दिनांक 05.01.2026 (10.00) बजे को खोली जावेभी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर लिया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. संभाग अशोकनगर

G-22976/25

कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

// अधिसूचना //

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/25-26 पत्र क्र. 223/ भू-अर्जन / 2025 दि. 11/12/2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे.में.) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	अमरपाटन	पोड़ी खुर्द	2.1580 हे.	कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु.मैहर जिला मैहर (म.प्र.)	रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू अर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानी बाटड)
कलेक्टर, जिला मैहर (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-23024/25

कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

// अधिसूचना //

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/25-26 पत्र क्र. 203/ भू-अर्जन / 2025 दि. 11/12/2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे.में.) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	मैहर	जरियारी	0.7260 हे.	कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग मैहर अ.मु.मैहर जिला मैहर (म.प्र.)	रीवा शाखा नहर नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू अर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानी बाटड)
कलेक्टर, जिला मैहर (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-23037/25

कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

// अधिसूचना //

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ 82/25-26 पत्र क्र. 205/ भू-अर्जन / 2025 दि. 11/12/2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे.में.) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	अमरपाटन	गोरा	3.7741 हे.	कार्यपालन यंत्री,नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु.मैहर जिला मैहर (म.प्र.)	रीवा शाखा नहर अंतर्गतअजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू अर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(रानी बाटड)
कलेक्टर, जिला मैहर (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-23040/25

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मण्डला (म0प्र0)

ई-मेल eephedmal@mp.nic.in — फेक्स 07642-253622 — दूरभाष 07642-252443

निविदा क्र. 104 से 110/2025-26/लेखा / लो.स्वा.यॉ. / 2025 — मण्डला, दिनाँक 18.12.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नांकित कार्य हेतु ऑनलाईन वेबसाईट http://mptenders.gov.in/nicgep/app पर निविदा आमंत्रित किये जाते है। ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 29/12/2025 सायं 17.30 बजे तथा निविदा खुलने का दिनांक 31/12/2025 सायं 12.00 बजे के पश्चात् है। निविदा से सम्बंधित कोई भी संशोधन ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर प्रदर्शित है। विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट http://mptenders.gov.in/nicgep/app पर देखा जा सकता है।

Nmae of Work: Construction Of R.C.C. Dug Well (10.00 Meter Diameter and 15.00 Meter Deep) for The Different Village of Block Nainpur.

क्र.	निविदा कमांक	ई- टेण्डर आई.डी. नं.	ग्राम का नाम	ठेके की अनुमानित लागत (रू. लाख में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	104 / 2025-26	2025_PHED _469629_1	Tilai, Tuiyapani, Subhewada and Deelwada	66.40	66400	10000	3 माह वर्षाकाल छोड़कर
2	105 / 2025-26	2025_PHED _469630_1	Pindrai padariya, Ghoorwada, Simariya, Jaidepur and Chari	66.40	66400	10000	3 माह वर्षाकाल छोड़कर
3	106 / 2025-26	2025_PHED _469631_1	Bharveli, Banjara Tola, Jhulpur and Tindua Bamhani	66.40	66400	10000	3 माह वर्षाकाल छोड़कर
4	107 / 2025-26	2025_PHED _469632_1	Dungariya (Paraswada), Chargaon, Lalpur and Khirsaroo (Ramgadhi)	66.40	66400	10000	3 माह वर्षाकाल छोड़कर
5	108 / 2025-26	2025_PHED _469633_1	Bhaliwada Mal, Dungariya (Palasundar) and Jamgaon	66.40	66400	10000	3 माह वर्षाकाल छोड़कर
6	109 / 2025-26	2025_PHED _469634_1	Ishwarpur, Dhanpuri Ryt, Dhanpuri Mal and Ghateri	79.68	79680	10000	3 माह वर्षाकाल छोड़कर
7	110 / 2025-26	2025_PHED _469635_1	Dunda, Pandiwada, Khursipar (Tumegaon), Palasundar	66.40	66400	10000	3 माह वर्षाकाल छोड़कर

कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड
मण्डला (म0प्र0)

G-23017/25